

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

शि.क./ए/संवि./13/2009/342
2

भोपाल, दिनांक 22. 7.09

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जि. का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	सूचिक आई. डी. क्रमांक	संस्था/जिला का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रश्मि राय वरिष्ठ अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. पिपरिया जिला होशंगाबाद	AL8901	23370677702	जिलापंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 4677 दि 11.06.09	नगर पालिक परिषद सिवनी जिला सिवनी जा.क्र. 251, दि. 05.05.09 शास.म.ल.बा.उ.मा.वि.	2344017770


संविलियन की शर्तें --

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की रिश्ताते में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता तालिका कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन हाने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ;
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्वधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की प्रगतिबाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



27.7.09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22.7.09

पृ./क्र०/शिक्ष./ए/संवि./13/2009/ 343
प्रतिलिपि :- 2

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्ता, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिरग-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचाय की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


27.7.09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/07/2009

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/362
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-बालाघाट,
मध्यप्रदेश.


विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयातर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती सीमा गुमास्ता सं.शा.शि. वर्ग-2 शा.नवीन मा.शा. नेवरगांव जिला बालाघाट	मा.मंत्री जी, वित्त, योजना आर्थिक और सांख्यिकी का जा.अ.श. 903 दि. 11. 07.09	चूंकि आवेदिका संविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 2 के पद पर कार्यरत है। अतः भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को नियमानुसार स्थानांतरण/संविदा शाला में कार्यवाही नहीं आती है।
2	श्री फररुख आलम सिद्दकी सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.शा. मनखियाई जिला भोपाल	अवर सचिव का पत्र क्र. 507 दि. 03.07.09	चूंकि आवेदिक संविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर कार्यरत है। भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
संचालक द्वारा अनुमोदित


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 31/07

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/363
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, मंत्रालय, भोपाल के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर पत्र क्र. 507 दि. 03.07.09 के संदर्भ सूचनार्थ।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/364
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31/07/2009

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-शिवपुरी एवं मुरैना,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री श्रीनिवास व्यास अध्यापक शा.मा.वि. दावरदेही जिला शिवपुरी	मा. राज्यमंत्री, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग का जा.क्र. 1032 दि. 01.07.09	प्रकरण पारस्परिक संविलियन का है अतः, दोनों निकाय द्वारा जारी संयुक्त आनापस्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
2	श्रीमती आशा राजौरा अध्यापक शा.उ.मा.वि. दवहररा जिला मुरैना	गा. राज्यमंत्री, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग का जा.क्र. 1032 दि. 01.07.09	

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदिक/आवेदिका द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिक/आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।


संचालक द्वारा अनुमोदित


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 31/07/20

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/365
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. राज्यमंत्री, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर पत्र क्र. 1032 दि. 01.07.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

o/c


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती उषा गन्नौर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. अंजनिया कलां जिला खंडवा	AO2733	23290900301	जनपद पंचायत पुनासा जिला खंडवा जा.क्र. 310 दि. 30.03.09	जनपद पंचायत खिरकिया जिला हरदा जा.क्र. 112 दि. 30.03.09 जन प्रा.शा.शा. भगवानपुरा	2336030860
2	श्रीमती कीर्ति बाला प्रजापति अध्यापक शा.मा.वि. कुराडाखेडी जिला इंदौर	AM6136	23260206202	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 6169 दि. 19.06.09	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र. 4975 दि. 02.07.09 शा.न.मा.शा. रामपुरा	2336031000

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./16/ए/2008/369
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31/07/2009

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	श्रीमती रीना कैथवास वरिष्ठ अध्यापक शा.उ.मा.वि. धामन्दा जिला सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 2521 दि. 08.05.09	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 8058 दि. 30.06.09	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न है।	जिला पंचायत इंदौर द्वारा जारी की गई अनापत्ति में शाला शा. क.उ.मा.वि. महु में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होना अंकित नहीं है वरन् अध्यापक का पद रिक्त अंकित है।
2	श्री अशोक कुमार शर्मा वरिष्ठ अध्यापक (भौतिकी) विकलांग शा.क.उ.मा.वि. खुजनेर जिला राजगढ	नगर पंचायत खुजनेर जिला राजगढ जा.क्र. 375 दि. 23.08.09	नगर पालिका परिषद मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. 09 दि. 20.06.09 शा.बा.उ.मा.वि. मुरैना क्र. 2	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न है।	जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना से रिक्त पद/विषयमान की पुष्टि उपरांत वियार किया जाएगा।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/16/09/370
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 31/07/2009

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी., मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय,लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/7/09

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/11/2009/371
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-सीहोर एवं बैतूल,
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा प्राप्त टीप/पत्र में संविदा शाला शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	जिला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती माधुरी तितरे सं.शा.शि. वर्ग-2 शा.मा.शा. महागांव जिला सीहोर	जा.क्र. 1567 दि. 06.07.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं है।
2	श्रीमती रश्मि गुप्ता सं.शा.शि. वर्ग-2 शा.नवीन मा.शा. मण्डई जिला बैतूल	जा.क्र. 1692 दि. 11.07.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित


31.7.09

उप संचालक


लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 31.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/11/2009/372

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।


31.7.09
उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31.7.09

क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/373
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-सतना, विदिशा एवं रायसेन,
मध्यप्रदेश.


विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।
—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मुख्यमंत्री कार्या. द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	श्री परमलाल सोनी अध्यापक विकलांग शा.पू.मा.वि. बरुआ जिला सतना	जा.क्र. 1627 दि. 09.07.09	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में विकलांगता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
2	श्रीमती कचन तिवारी अध्यापक ग्राम नानाखेडी, तह. गौहरगंज जिला रायसेन	जा.क्र. 1677 दि. 11.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन एवं दोनों निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन /नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः संविलियन की अनुमति दी जाना संभव नहीं है।
3.	श्रीमती अनुसुइया दुबे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा ग्राहपुर जिला विदिशा	जा.क्र. 1698 दि. 11.07.09	आवेदिका द्वारा जनपद पंचायत लटेरी जिला विदिशा द्वारा जारी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदिका द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित


31.7.09

उपसंचालक


लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 31.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/374

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।


31.7.09

उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31.7.09

क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/377
प्रति,

कलेक्टर,
जिला-पन्ना,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलांतर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी से प्राप्त टीप क्रमांक एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती साधना खम्परिया सहायक अध्यापक शा.मा.शा. पटना कलां जिला पन्ना	जा.क्र. 1741 दि. 13.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित



31.7.09
उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 31.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/378
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


31.7.09
उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31.7.09

क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/379
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला- गुना, हरदा, दमोह एवं सीहोर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती भावना वास्नी अध्यापक शा.नवीन मा.वि. बरखेडी महाराज जिला गुना	जा.क्र. 1546 दि. 04.07.09	आवेदिका द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत शालाओं में संविलियन चाहा गया है किन्तु नगरीय क्षेत्र में कला विषय का पद रिक्त न होने के कारण संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
2	श्रीमती ज्योति दुबे अध्यापक विज्ञान शा.मा.शा. खोजाखेडी जिला दमोह	जा.क्र. 1690 दि. 11.07.09	आवेदिका द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत शालाओं में संविलियन चाहा गया है किन्तु नगरीय क्षेत्र में विज्ञान विषय का पद रिक्त न होने के कारण संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
3	श्रीमती मीना खत्री अध्यापक शा.मा.शा. चौन्डी जिला सीहोर	जा.क्र. 1585 दि. 07.07.09	आवेदिका द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत शालाओं में संविलियन चाहा गया है किन्तु नगरीय क्षेत्र में कला विषय का पद रिक्त न होने के कारण संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
4	श्रीमती गीता चौधरी सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. खिरकिया जिला हरदा	जा.क्र. 1683 दि. 11.07.09	आवेदिका द्वारा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन की आदेश की प्रति एवं नगर निगम भोपाल की अनापत्ति संलग्न नहीं है तथा नगरीय क्षेत्र में पद रिक्त नहीं होने के कारण संविलियन की अनुमति प्रदान करने में कठिनाई है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 31.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/11/2009/380
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त नगर निगम भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल।
4. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/20/2009/395
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15.8.09

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
सतपुड़ा भवन,
भोपाल

विषय:—आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में अध्यापक संवर्ग की महिला, विकलांग एवं परस्पर आवेदकों का अंतर्जिला संविलियन बाबत।

—0—

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं से अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापकों के द्वारा परस्पर अंतर्जिला संविलियन चाहा गया है।


2— मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 में दिये गये निर्देश/आदेश के अनुक्रम में विभाग के ज्ञाप दिनांक 08.11.05 की कंडिका-6 के अनुसार परस्पर अंतर्विभागीय अंतर्जिला संविलियन प्रावधान है।

3— शासन के उल्लेखित आदेश/ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदकों के द्वारा परस्पर अंतर्विभागीय अंतर्जिला संविलियन हेतु संबंधित दोनों निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति	संविलियन किये जाने की विभागीय अनुशंसा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विनय नामदेव सहायक अध्यापक शा.न.प्रा.शा. पिण्डरईमाल जिला डिण्डौरी	जनपद पंचायत मेंहदवानी जिला डिण्डौरी जा.क्र. 313 दि. 19.05.09	जनपद पंचायत सिहोरा जिला जबलपुर जा.क्र. 582 दि. 20.05.09 शा.प्रा.शा. बुधारी	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न है।	अंतर्जिला पारस्परिक संविलियन की अनुशंसा की जाती है।
2	श्री धनीराम टेमरे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बुधारी जिला जबलपुर	जनपद पंचायत सिहोरा जिला जबलपुर जा.क्र. 582 दि. 20.05.09	जनपद पंचायत मेंहदवानी जिला डिण्डौरी जा.क्र. 313 दि. 19.05.09 शा.न.प्रा.शा. पिण्डरईमाल	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न है।	

अतः उपर्युक्त आवेदकों को परस्पर अंतर्जिला संविलियन की अनुमति हेतु विभागीय अनुमति/सहमति को अनुशंसा करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः प्रेषित है।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शि.क./ए/20/2009/396
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 1.8.09

1. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
2. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
4. संबंधित सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3/8/09

क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/401
प्रति,

1. आयुक्त,
नगर निगम,
भोपाल
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला भोपाल

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।
—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन हेतु जारी आदेश में संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती बंटी बाथम अध्यापक शा.क.हाईस्कूल पुतलीघर जिला भोपाल	जा.क्र. 1995 दि. 25.07.09	आवेदिका को पूर्व में दी गई संविलियन अनुमति के आधार पर यदि नगर निगम भोपाल अंतर्गत शा.हाईस्कूल पुतलीघर में संबंधित ने कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन से अवगत कराएं। यदि आवेदिका द्वारा उक्त शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में संशोधन हेतु कॉलम क्र 3 में मा. मंत्री जी द्वारा प्राप्त टीप में अंकित शाला के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से रिक्त पद की जानकारी प्राप्त कर संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/402
प्रतिदिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक 03.08.
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/8/09

संयुक्त संचालक 3.08.
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/23/2009/403
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-उज्जैन, बैतूल, सतना, राजगढ़, धार, रतलाम,
अशोकनगर, सिंगरोली, रायसेन, गुना, शहडोल एवं नरसिंहपुर.
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में दस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/ पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री मसरत अहमद सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. नलेश्री जिला उज्जैन	जा.क्र. 1858 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
2	श्री अनिल कुमार शुक्ला वरिष्ठ अध्यापक शा.क.उम.वि. सारणी जिला बैतूल	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
3	श्री मिथलेश कुमार सिंह वरिष्ठ अध्यापक राजनीति विज्ञान शा.उ.मा.वि. खोही जिला सतना	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
4	श्री सुधीर कुमार टोप्पो अध्यापक शा.हाईस्कूल पीलूखेडी जिला राजगढ़	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
5	श्री मनोज शर्मा सहायक अध्यापक शा.मा.वि. घटगारा जिला धार	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
6	श्री आशीष शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कोट कराडिया जिला रतलाम	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
7	श्री कमल सिंह असादरा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. डोगर जिला अशोकनगर	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

पृष्ठांकन क्रमांक / शिक्षाकर्मि / 23 / 2009 / 304

भोपाल, दिनांक 03/8/09

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
1. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक 03.08.09
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/405
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-ग्वालियर,
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयातर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती निधि श्रीवास्तव संविदा शिक्षक वर्ग-3 शा.क.प्रा.वि. बिलौआ जिला ग्वालियर	जा.क्र. 1903 दि. 20.07.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/406
प्रतिलिपि :-

1. निज राचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक 03.08.09
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/8/09


संयुक्त संचालक 03.08.09
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/407
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-शहडोल, रीवा, डिण्डौरी, बैतूल, सिवनी,
रीवा, सिंगरौली, पन्ना, खण्डवा एवं हरदा.
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वरतुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/ पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री राज कुमार सकेत अध्यापक शा.पू.मा.वि. कुरानटोला जिला शहडोल	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	प्रकरण पारस्परिक संविलियन से संबंधित है। अतएव दोनों आवेदकों द्वारा संयुक्त आवेदन पत्र, दोनों निकाय की संयुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दी जाने में कठिनाई है।
2	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी अध्यापक शा.पू.मा.वि. कटांगी जिला रीवा	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
3	श्रीमती रक्षा क्षीरसागर अध्यापक शा.उ.मा.वि. कूडा जिला डिण्डौरी	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
4	श्रीमती प्रीती सोनी (भास्कर) अध्यापक शा.उत्कृ. बा.उ.मा.वि. आमला जिला बैतूल	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
5	श्रीमती नन्दा सहारे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. ललमटिया जिला सिवनी	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
6	श्रीमती विमला पाण्डेय सहायक अध्यापक शा.न.पू.मा.शा. कुशहा जिला रीवा	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
7	श्रीमती सुचिता कुजूर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कटुआटोली जिला सिंगरौली	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।

8	श्रीमती रीना नामदेव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. सिसी जिला पन्ना	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
9	सुश्री राजकुमार सिंह सहायक अध्यापक शा.क.मा.शा. देवसर जिला सिंगरौली	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
10	कुमारी कौशल्या बामनिया सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. सीहोरा	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
11	श्रीमती अंजना गुप्ता वरिष्ठ अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. अजयगढ जिला पन्ना	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
12	श्रीमती ऋतु पाठक सहायक अध्यापक गणेश शंकर वि. गणेश तलाई जिला खण्डवा	जा.क्र. 1874 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
13	श्रीमती रीना नामदेव अध्यापक शा.मा.शा. सिसी जिला पन्ना	जा.क्र. 1985 दि. 25.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
14	श्रीमती मालती शुक्ला सहायक अध्यापक शा.प्रा.शास. अबगांवकला जिला हरदा	जा.क्र. 1876 दि. 19.07.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय अर्थात् नगर पालिका कोलार द्वारा जारी अनापत्ति में शाला का नाम अंकित नहीं है।

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
संचालक द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/408
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ।

03.08.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 31/8/09

03.08
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/23/2009/409
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/8/09

कलेक्टर,
जिला-राजगढ़, सिंगरौली, रायसेन, सिवनी एवं श्योपुर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलांतर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी से प्राप्त टीप क्रमांक एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती कृष्णा चौरसिया सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. झाडला जिला राजगढ़	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2	श्रीमती प्रभा सिंह सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हरफरी जिला: सिंगरौली	जा.क्र. 1864 दि. 19.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3	श्रीमती साधना शर्मा वरिष्ठ अध्यापक जीवविज्ञान शा.क.उ.मा.वि. बाडी जिला रायसेन	जा.क्र. 1973 दि. 19.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4	श्रीमती ममता चंद्रवंशी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सकरी जिला सिवनी	जा.क्र. 1995 दि. 25.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[Handwritten signature]

5	श्रीमती ज्योति भटजीवाले सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बीघाखेडली जिला श्योपुर	जा.क्र. 1996 दि. 25.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
6	श्रीमती पप्पूखेडी बाई मीणा शिक्षाकर्मी वर्ग-3 शा.प्रा.वि. बासौद जिला श्योपुर	जा.क्र. 1996 दि. 25.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित
आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित


09-3-09
उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/8/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/23/2009/410
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक 3-8-09
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/23/2009/411
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/8/09

आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल.


विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/ पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती सुशान्ता बाखला सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सिधौडी जिला सिवनी	जा.क्र. 1938 दि. 23.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।
2	श्री अनूप सिंह पैखयार सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.बा.शा. पौडीकला जिला जबलपुर	जा.क्र. 1893 दि. 20.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।
3	श्रीमती शारदा साठे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सुस्तानी जिला राजगढ़	जा.क्र. 1977 दि. 24.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 08.11.05 की कंडिका-6 अनुसार उक्त प्रकरणों में आपके विभाग से कार्यवाही की जाना है। अतः आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार



उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 3/8/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/23/2009/412
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक - 3.8.09

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/413
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-सागर एवं ग्वालियर.,
मध्यप्रदेश.


विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर सेवा लेने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त नोटशीट/पत्र अनुसार अध्यापक संवर्ग में कार्यरत निम्न आवेदकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के संबंध वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री आर.बी.एस.कुशावाह, हरिदर्शन उ.मा.वि.ग्वालियर	जा.क्र.1387 दिं.23.06.09	प्रकरण मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति का है। वर्तमान में प्रचलित नियम म. प्र. पंचायत/नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तों) नियम 2008, के नियम 8 (ड) "इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिये वहीं शर्तें होगी जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।" इस संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही संभव नहीं है।
2	श्रीमती संगीता गर्ग, अध्यापक अंधेजी, शा.बहुउद्देशीय उत्कृ.उ.मा.वि. सागर	जा.क्र. 396 दिं.24.06.09	प्रकरण अध्यापक के राज्य शिक्षा क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति से संबंधित है। वर्तमान में प्रचलित नियम म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तों) नियम 2008, के नियम 8 (ड) "इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिये वहीं शर्तें होगी जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।" इस संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही संभव नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक - 3.8

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/414
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.